

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :-

अभिलेख संख्या :- 104/16-12

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री शमशेरु बुद्ध पास्वा वी अंचल निरीक्षक श्री शमशेरु बुद्ध पास्वा का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा पुडुआ थाना नं0 692 गैरमजरूआ खाता नं0 24/38 दाग नं0 32 रकवा 50-15-00 किस्म पत्ती कटोप श्री देवी राय भावाडी पिता महोदय राय भावाडी साकिन देवी राय भावाडी के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री देवी राय भावाडी को दिनांक 31/5/16 समय 11:00 AM पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

21/7/16

अंचल अधिकारी,
महागामा।

20/7/16

अभिलेख उपस्थापित। शमशेरु बुद्ध पास्वा अंचल उपस्थित।
उन्होंने सत्य के रूप में कोई दस्तावेज समर्पित नहीं
किया गया। उन्होंने दस्तावेज समर्पित करने हेतु समय
की गति किया गया है। अतः आगामी दिनांक 11/3/16
को अभिलेख उपस्थापित करें।

saraha

21/7/16
21/7/16

17/6/19

अभिलेख उपस्थापित।
नौटिक निर्गम करें।


मं.म.
महागाना

11-7-19

अभिलेख उपस्थापित।
नौटिक निर्गम नहीं हुआ क्योंकि कोई एडवेंचर नहीं रही है।

31/7/2020


अभिलेख उपस्थापित।
नौटिक निर्गम करें।



मं.म.
महागाना

10/12/2022

अभिलेख उपस्थापित।
राजस्व अपशिष्टांक-सह-प्रगती मंचन विप्लवक
महागाना से प्रसंगत गूगल का नौटिक प्रतिवेदन के
साथ अभिलेखीय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अर्थ-
लोकल विषय। प्रतिवेदनानुसार अर्बय संदेशानुद पंजी-11
रैयत को गूगल सहाय पदाधिकारी से प्राप्त है। वर्तमान
में अर्बय गूगल ईं सी.एल. ए.ए. ECL क्षेत्र के अधिकारण
क्षेत्र के अंतर्गत है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अभिलेख
की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापुत्र

मं.म.
महागाना


मंचनमंडली
महागाना

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी,
महागामा।


विषय :- अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या ...104.../2016-17 ...देवी राम प्रारवाड़ी...
पिता-...प्रहादेव...प्रारवाड़ी... का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या104...../2016-17 देवी राम प्रारवाड़ी पिता-...प्रहादेव...प्रारवाड़ी..... का जांच प्रतिवेदन का जांच किया जांचोपरांत पाया कि प्रश्नगत भूमि मौजा-बसुआ, थाना नं0-692 के गैरमजरूआ खाता सं0-24/38 के अंदर दाग नं0-32 का अंश रकवा .55-1.5-40..... घूर किस्म- परती-कदीम अंचल अधिकारी, महागामा/अनुमंडल पदाधिकरी, गोड्डा के केश नं0-..... के माध्यम से देवी राम प्रारवाड़ी पिता-..... प्रहादेव प्रारवाड़ी को प्राप्त हुआ है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। प्रश्नगत भूमि ई0सी0एल0 के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त जमाबंदी को सही मानते हुये अभिलेख की कार्रवाई बंद की जा सकती है। जांच प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन


16-12-22
Pvi
4